न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 155/2016

भागीरथ पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 बीपीएम हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ---अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
3. उप-पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ।

--रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 06.05.2016

उपस्थितिः-

श्री विनोद कुमार बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :- 03.11.2017**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 06.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की की गई हैं उक्त आदेश के द्वारा रेस्पो.सं.1 को राज. उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14क के तहत चक 1 एचडब्लूडी के प.न. 214/52 के कि.न. 5 से 8 , 11 से 25 की 4.807 है0 अ.क. भूमि बतौर मीडियम पेच आवंटित की गई है।

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मीडियम पेच की श्रेणी में नहीं आती थी इस भूमि की चिपते हुए ओर भी रकबा राज है जो कुल 69 बीघा बनता है। अधी.न्यायालय ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला देकर आवंटन किया गया है उसका गलत अर्थ निकाला गया गया है। रेस्पो. ने मिली भगत करके आवंटन कराया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया हैं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा. पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2017 (1) 530 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट की विवादित भूमि की चिपती हुई भूमि नहीं है। रेस्पो. द्वारा आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश करने पर उस पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त करने पर नियमानुसार रेस्पो. को आवंटन किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरडी 1994 नेज 356, 652, आरआरटी 2014(2) पेज 802, आरआरडी 2015 पेज 618 की नजीरे पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेशदिनांक 06.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 06.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई जिसमें रेस्पे. को मीडियम पेच के रूप में आवंटित रकबा मीडियम पेच की भूमि की परिभाषा में नहीं आने के बावजूद आवंटन कियाहै। अतः खारिज योग्य है का अनुतोष चाहा।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी मीडियम पेच के रूप में आवंटित भूमि के पडौसियों में रेस्पों. भंवरलाल व लिछमण पुत्र सुरजाराम की रिपोर्ट में दर्शायें हैं जबकि अपीलांट के कब्जे या Adjoining आराजी बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में अपील मीमों में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है तथा अपीलांट हितबद्ध पक्षकार कैसे है जाहिर नहीं किया है। साथ ही अपील मीमां का Text अपील न होकर शिकायत प्रतीत होती है जो राज.उपनिवेशन की धारा 11 पठित 14 के तहत विचारणीय हो सकती है जिसका क्षेत्राधिकार अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ को है। अतः अपीलांट का Legal locus-standai के अभाव में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

3/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर